उत्तराखण्ड शासन
संख्याः– /XVI(1)/16-05(20)/2012
उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1
देहरादूनः दिनांक 20 अक्तूबर, 2016

कार्यालय–ज्ञाप

भारत सरकार की महत्वंकांक्षी परियोजना के तहत सचिव, भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के D.O.No. 34-MFPI/12-Mega FP दिनांक 02 मई, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में जनपद–उधमसिंहनगर के तहसील–काशीपुर में "मेगा फूड पार्क(M.F.P)" की स्वीकृति प्रदान की गयी है, इस परियोजना की कुल लागत ₹100 करोड़ अनुमोदित है। 'फूड पार्क' परियोजना का मुख्य उद्देश्य मूल्य संवर्धन को अधिकतम सुनिश्चित करने के लिये, किसानों व खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, खुदरा विकेताओं को बाजार उपलब्ध कराने तथा कृषि उत्पादन से जुडने हेतु एक केन्द्र के रूप में विकसित करना है, जिससे राज्य के किसानों की आय में अग्रेत्तर वृद्धि तथा मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकेगें।

2– सचिव, भारत सरकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा परियोजना के तहत राज्य में स्थापित होने वाली मेगा फूड पार्क तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु की गई संस्तुति के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित विभागीय समिति की बैठक में लिये निर्णयानुसार, राज्य में प्रस्तावित "मेगा फूड पार्क" तथा उसके अन्तर्गत स्थापित होने वाली "खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों(food processing units) व उनकी सहबद्ध पैकेजिंग इकाईयों(Packing facilities as Ancillary to food processing industries) हेतु निम्नानुसार 'विशेष छूट' अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क)– मेगा फूड पार्क तथा इसके तहत स्थापित होने वाली इकाईयों के लिए प्रथम बार भूमि क्रय तथा लीज डीड पर 100% स्टैम्प ड्यूटी में छूट अनुमन्य की जायेगी।

(ख)– उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक के लिए वैट पर 100% छूट अनुमन्य की जायेगी।

(ग)– उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से कच्चे माल पर 05 वर्ष तक मण्डी शुल्क में 100% छूट अनुमन्य की जायेगी।

(घ)– बैंक ऋण पर 06% की दर से(अधिकतम ₹04 लाख) प्रति वर्ष ब्याज अनुदान दिया जायेगा, जो 05 वर्ष तक के लिए अनुमन्य होगा।

कमशः...2...

Scanned by CamScanner

(ड.)– सी.एस.टी पर 05 वर्ष के लिए 100% छूट जो उत्पादन आरम्भ होने की तिथि से अनुमन्य होगा। वर्तमान में जी.एस.टी की वस्तुस्थिति स्पष्ट नही है अतः इसके लागू होने पर, छूट हेतु तत्समय विचार किया जायेगा तथा यथा सम्भव समतुल्य छूट दी जायेगी।

(च)– राज्य में "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग" द्वारा कृषि क्षेत्रों के अन्तर्गत सिंचाई हेतु नलकूप आदि के लिए निर्धारित, विद्युत टैरिफ(वर्तमान में ₹1.55 प्रति यूनिट की दर) के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों हेतु भी विद्युत टैरिफ, उत्पादन आरम्भ होने से 05 वर्ष तक के लिए अनुमन्य होगा तथा विद्युत आपूर्ति निर्बाधित रहेगी।

डा. रणवीर सिंह
अपर मुख्य सचिव

संख्याः–2237 (2) /XVI(1)/16-05(20)/2012 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा. विभागीय मंत्री उत्तराखण्ड शासन।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
6– सचिव, गोपन(मंत्रि परिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– नोडल अधिकारी, मेगा फूड पार्क परियोजना उत्तराखण्ड।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10–निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उद्यान भवन चौबटिया रानीखेत, जनपद अल्मोडा उत्तराखण्ड को उपरोक्तानुसार एवं इस आशय से प्रेषित कि आगामी आय–व्ययक में समुचित धनराशि की व्यवस्था किये जाने हेतु नई मॉग का प्रस्ताव नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11–मुख्य कार्याकारी अधिकारी औद्यानिक विपणन परिषद, सर्किट हाउस देहरादून उत्तराखण्ड।
12–अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय रूडकी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुये 100 प्रतियॉ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13–निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
14–गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(टीकम सिंह पंवार)
अपर सचिव

Scanned by CamScanner